"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 264] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 1 जुलाई 2016—— आषाढ़ 10, शक 1938

खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 27 जून 2016

अधिसूचना

क्रमांक एफ 1–39/खाद्य/2009/29–1. – उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 (क्र. 68 सन् 1986) की धारा 30 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ राज्य, उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग तथा जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम (भर्ती एवं सेवा शर्तें) नियम, 2010 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :–

संशोधन

उक्त नियमों की अनुसूची में,–

1. अनुसूची–दो के सरल क्रमांक 16 एवं 17 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :–

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
16		सहायक ग्रेड–3	14	75%	25%	
17		आफिस मोहर्रिर कम डिस्पेचर	08	75%	25%	

2. अनुसूची–चार के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :–

"अनुसूची–चार"
(नियम 15 देखिये)

स. क्र.	विभाग का नाम	पद का नाम जिससे पदोन्नति की जानी है	पद का नाम जिस पर पदोन्नति की जानी है	पदोन्नति के लिये सेवा की अवधि	विभागीय पदोन्नति समिति के सदस्य का नाम (नियम 15 देखिये)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	छ.ग. राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग एवं अधीनस्थ जिला उपभोक्ता फोरम	प्रशासकीय अधिकारी अधीनस्थ लेखा सेवा (एस.ए.एस.) परीक्षा उत्तीर्ण	लेखाधिकारी	0 5 वर्ष	माननीय अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग, रायपुर द्वारा नामांकित अधिकारी
2.		अधीक्षक	प्रशासकीय अधिकारी	5 वर्ष	
3.		न्यायालय अधीक्षक	अधीक्षक	3 वर्ष	
4.		निज सहायक / स्टेनोग्राफर ग्रेड–2	निज सचिव	5 वर्ष	
5.		स्टेनोग्राफर ग्रेड–3	निज सहायक / स्टेनोग्राफर ग्रेड–2	5 वर्ष	
6.		डाटा एण्ट्री ऑपरेटर	सहायक प्रोग्रामर	5 वर्ष	
7.		स्टेनोटायपिस्ट	स्टेनोग्राफर ग्रेड–3	5 वर्ष	
8.		सहायक ग्रेड–1 साथ ही लेखा परीक्षा उत्तीर्ण	न्यायालय अधीक्षक	3 वर्ष	
9.		सहायक ग्रेड–2 / रीडर / नाजिर साथ ही लेखा परीक्षा उत्तीर्ण	सहायक ग्रेड–1	5 वर्ष	
10.		सहायक ग्रेड–3 / आफिस मोहर्रिर कम डिस्पेचर / रिकार्ड कीपर	सहायक ग्रेड–2 / रीडर / नाजिर	5 वर्ष	
11.		आदेशिका वाहक / दफ्तरी	सहायक ग्रेड–3 / आफिस मोहर्रिर कम डिस्पेचर / रिकार्ड कीपर	5 वर्ष	
12.		भृत्य / फर्राश / स्वीपर / चौकीदार	आदेशिका वाहक / दफ्तरी	5 वर्ष	

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोज कुमार सोनी, विशेष सचिव.

Naya Raipur, the 27th June 2016

NOTIFICATION

No. F1-39/food/2009/29-1:: In exercise of the powers conferrred by Section 30 of the Consumer Protection Act, 1986 (No. 68 of 1986), the State Government, hereby, makes the following amendment in the Chhattisgarh State Consumer Disputes Redressal Commission & District Consumer Disputes Redressal Forum (Recruitment and Service Condition) Rules, 2010, namely:-

AMENDMENT

In Schedule of the said rules,-

1. For serial number 16 and 17 of Schedule-II, the following shall be substituted, namely :-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
16.		Assistant Grade-II	14	75%	25%	
17.		Office Moherir Cum Dispatcher	08	75%	25%	

2. For Schedule-IV, the following shall be substitued, namely :-

"SCHEDULE-IV
(See rule 15)

S. No.	Name of Department	Name of the post from which promotion to be made	Name of post to which promotion is to be made	Period of service for promotion	Name of Member of Department Promotion Committee (See rule 15
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	C.G. State Consumer Disputes Redressal Commission and Sub-ordinate District Consumer Forum	Administrative officer with S.A.S. Examination passed	Account Officer	5 year	Officers nominated by the Hon'ble President, Chhattisgarh State Consumers Disputes Redressal Commission Raipur.
2.		Superintendent	Administrative Officer	5 year	
3.		Clark of Court	Superintendent	3 year	
4.		Personal Assistant/ Stenographer Grade-II	Private Secretary	5 year	
5.		Stenographer Grade-III	Personal Assistant/ Stenographer Grade-II	5 year	
6.		Data-Entry Operator	Assistant Programmer	5 year	

7.		Steno Typist	Stenographer Grade-III	5 year	
8.		With Accounts Examination passed Assistant Grade-1	Clark of Court	5 year	
9.		With Accounts Examination passed Assistant Grade-II/ Reader/Nazir	Assistant Grade-1	5 year	
10.		Assistant Grade- III/ Office Moherir cum Dispatcher/ Record Keeper	Assistant Grade- II/ Reader/ Nazir	5 year	
11.		Process Server/Daftari	Assistant Grade-III /Officer Moherir cum Dispatcher/ Record Keeper	5 year	
12.		Peon/Farrash/ Sweeper/ Chowkidar	Process Server/Daftari	5 year	

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh
MANOJ KUMAR SONI, Special Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2016.